

मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 27/07/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 27/07/2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित मुरादाबाद एसईजेड (MSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

- A. बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:
1. श्री किरण एम. मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित) और एसईजेड के निर्दिष्ट अधिकारी भी।
 2. श्री सुमित कुमार, उपायुक्त, सीमा शुल्क, आईसीडी (ICD) मुरादाबाद।
 3. श्री चमन लाल, ADG (FT) कार्यालय अपर डीजीएफटी (DGFT), सीएलए (CLA), नई दिल्ली।
 4. श्री नागेंद्र सिरोही, अधीक्षक, सीजीएसटी (CGST) मुरादाबाद।
 5. श्री अभिषेक वर्मा, एसओ (ASO), डीआईसी (DIC), मुरादाबाद (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)।
 6. श्री पंकज खत्री, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, मुरादाबाद।
 7. श्री संतोष कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआईडीए (UPSIDA), मुरादाबाद एसईजेड (SEZ) (CEO प्रतिनिधि, यूपीएसआईडीए (UPSIDA), उत्तर प्रदेश सरकार सरकार)।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त (प्रभारी), MSEZ (ii) लाल बाबू प्रसाद, अधीक्षक (प्रभारी), MSEZ और (iii) अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक, परियोजना अनुमोदन समिति की सहायता के लिए अनुभाग, एनएसईजेड (NSEZ) भी उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों / इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

D. **कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:**

01. 07/02/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

बताया गया कि दिनांक 07/02/2022 को हुई अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमोदन समिति ने इसे नोट किया और तदनुसार, 07/02/2022 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

02. मामले के पूर्ण तथ्यों के साथ नई इकाई के आवेदन की समीक्षा के लिए M/s ईस्ट एल्म का प्रस्ताव।

कि।

- I. श्री शैलेन्द्र पाल सिंह, इकाई के भागीदार, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए क्योंकि वे वस्तुतः वीबेक्स (Webex) के माध्यम से बैठक में शामिल होने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने कहा कि वह अभी भी मुरादाबाद एसईजेड (SEZ) में इकाई स्थापित करना चाहते हैं।
 - II. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, समय विस्तार शुल्क के भुगतान पर यूपीएसआईडीए (UPSIDA) के बीच मुद्दे के समाधान के अधीन एमएसईजेड (MSEZ) में एक इकाई स्थापित करने के लिए आवेदक के प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी। समिति ने आगे निर्णय लिया कि यूपीएसआईडीए (UPSIDA) से समय विस्तार पत्र प्राप्त होने पर ही आवेदक को स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) का कार्यालय भी आवेदक को पत्र लिखकर उक्त विस्तार की मांग करने के लिए कहेंगे और समय विस्तार के मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए यूपीएसआईडीए (UPSIDA) के प्रधान कार्यालय को इसकी एक प्रति पृष्ठांकित करेगा।
03. M/s सी एल (CL) गुप्ता ओवरसीज एलएलपी (LLP) का प्रस्ताव:-
- I. प्लॉट नंबर सी-04 (अनुमोदन) के अतिरिक्त क्षेत्र का विस्तार।
 - II. दिनांक 17.11.2016 को एलओए (LOA) में आईटीसी (HS) कोड जोड़ना।
- III. आयातित पूंजीगत सामान में वृद्धि और एनएफई (NFE) अनुमानों में संशोधन।
1. इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री कला मुकुंदन अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव को स्पष्ट किया।
 2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित पर निर्णय लिया:
 - a. कार्य के अतिरिक्त स्थान अर्थात प्लॉट नंबर सी-04, पॉकेट-'ए' और उत्पादन क्षमता में वृद्धि को शामिल करने के संबंध में दिनांक 05.04.2022 की अनुमति की पुष्टि की।
 - b. पूंजीगत वस्तुओं की स्वीकृत वृद्धि (सौर पैनल और सौर अंतर्वर्तक जैसे आयातित पूंजीगत सामान सहित, डीओसी (DOC) ओएम (OM) दिनांक 07.06.2021 के प्रावधानों के अधीन अर्थात उक्त ओएम के तहत आने वाली संबंधित वस्तुओं पर कोई कर / शुल्क लाभ नहीं)।
 - c. दिनांक 17.11.2016 को एलओए (LOA) में अधिकृत संचालन के प्रस्तावित आईटीसी (HS) कोड को शामिल करने को मंजूरी दी गई

यह अनुमोदन इस कार्यालय के पत्र दिनांक 08.06.2022 द्वारा देखी गई और सूचित की गई कमियों की संतोषजनक प्रतिक्रिया के अधीन है। इसके अलावा, इकाई को सक्षम प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन लेना होगा, जहां भी आयात के लिए प्रतिबंधित उत्पाद या तो आयात किए जाते हैं या डीटीए (DTA) से खरीदे जाते हैं।

04. एलओए (LOA) के विस्तार और प्लॉट संख्या एच-21 के अतिरिक्त क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ एनएफई (NFE) अनुमानों में वृद्धि के लिए M/s ट्यूलिप डी आईनॉक्स का प्रस्ताव।

1. श्री हेमंत राणा, इकाई के मालिक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव समझाया।

कि।